न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध 114/2020

प्रार्थी :-

1. हडमानाराम पुत्र हंजारीमल जाति मेघवाल निवासी-बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी :-

1. देवाराम पुत्र गुणेशाराम मेघवाल, निवासी बालोतरा
2. फुसकीदेवी पत्नी तुलछाराम मेघवाल, निवासी मूंगड़ा
3. भीखाराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल, निवासी गोपडी
4. वन्दनादेवी पत्नी शंकरलाल गर्ग, निवासी मेलावास
5. लीलादेवी पत्नी चन्द्रप्रकाश बारड मेघवाल, निवासी मोकलसर
6. कमलादेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार सोलकी मेघवाल निवासी महिलावास
7. राधेश्याम पुत्र वगताराम सोलकी मेघवाल निवासी महिलावास तह0 सिवाना
8. इन्द्रा पत्नी लालाराम मेघवाल निवासी महिलावास, तह0 सिवाना
9. सांवलराम पुत्र चौथाराम मेघवाल निवासी रातडी तह0. समदडी
10. सोहनलाल पुत्र कालुराम मेघवाल निवासी जालोर
11. पेमाराम पुत्र अखाराम सभी जातियान मेघवाल निवासी बालोतरा हाल उमरलाई तहसील पचपदरा जिला-बाड़मेर
12. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956
वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :- 1. श्री रूगाराम कडवासरा प्रार्थीगण वकील
2 श्री महावीर तातेड विप्रार्थीगण वकील
3 श्री डूंगरसिंहनामा विप्रार्थीगण वकील

आदेश

दिनांक :-12.3.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि मौजा रामसीन के मूल खेत खसरा न0 497 रकबा 11 बीघा 18 विस्वा में आया हुआ था, उक्त खसरा के 3 बट्टे किये गये जिसने नामान्तरण संख्या 955 दिनांक 16.03.2012 खाता संख्या 227 में खसरा संख्या 1010/497 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, व खसरा न0 10[illegible]/497 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, ख0स0 1012/497 रकबा 3 बीघा [illegible] बीघा 18 विस्वा था एवं बंटवाड़ा होने के बाद राजस्व रेकर्ड में बट्टा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अलग से [illegible] दर्ज की गई एवं तरमीम अनुसार मौके पर काबिज है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या [illegible] की संयुक्त खातेदारी उक्त आराजी भूमि मे हल्का पटवारी द्वारा सवत् 2071 से 2074 की जमाबंदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते समय मूल खसरा न0 1012/497 के स्थान पर टाईप

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:24:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भूल से 1024/497 दर्ज कर दिया गया जबकि मूल खसरा न0 1012/497 है जो वक्त वंटवाडा से मूल खसरा न0 497 का बट्टा संख्या है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों की लिखित भूल से राजस्व रेकर्ड में गलत खसरा न0 दर्ज होने से प्रार्थी को भारी असुविधा हो रही है जिससे प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में खसरा न0 1024/497 के स्थान पर खसरा न0 1012/497 राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी में खसरा दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीग के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन दिनांक 13.8.2020 को जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 2 व 9 के वकील उपस्थित। दीगर विप्रार्थीगण को जारी सम्मन की रजिस्टर्ड रसीदे बाद तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई की गयी ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना गया तथा प्रकरण का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी सवंत् 2063–66 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबंदी संवत् 2067–70 की छाया प्रति, जमाबंदी सवंत् 2071–74 की छाया प्रति व नामान्तरकरण संख्या 955 व राजस्व नक्शा ट्रेस व प्रार्थी खरीद की गयी भूमि का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसमे प्रार्थी के मौजा रामसीन के राजस्व रेकर्ड में मूल खसरा न0 1012/497 दर्ज है जो सही व शुद्व है जबकि राजस्व कर्मचारियों की लिखित भूल से खसरा न0 1024/497 दर्ज कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं की गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि ग्राम रामसीन के मूल खेत खसरा न0 497 रकबा 11 बीघा 18 विस्वा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के संवत् जमाबंदी संवत 2071से 2074 के खसरा न0 1024/497 के स्थान पर मूल खसरा न0 1012/497 दुरूस्त किया जावें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.3.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:24:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned with CamScanner